

NOTIFICATION

S.O. No. —————— Dated Patna, the
 in exercise of powers conferred by sub-section (1) of
 section 21 of the Bonded Labour System (Abolition) Act, 1976 (Act 19 of 1976),
 the Governor of Bihar is pleased to confer, on all Deputy Collectors incharge
 Land Reforms in the State of Bihar, the powers of a judicial magistrate of the
 first class for the trial of offences under the said Act in their respective
 jurisdictions.

13/BL-3024/86 L&E-101
 By order of the Governor of Bihar,
 Sd/-

Under Secretary to Government

ज्ञाप सं0- 13/बी०एल०-3024/86-श्र०नि०-102, पटना, दिनांक 27.02.87
 प्रतिलिपि - उप सचिव, भारत सरकार, श्रम मंत्रालय, नई दिल्ली को सूचनार्थ अग्रसारित ।

हो/-
 (वरदा कान्त घोषपाल)
 सरकार के अवर सचिव ।

ज्ञाप सं0- 13/बी०एल०-3024/86-श्र०नि०-102, पटना, दिनांक 27.02.87
 प्रतिलिपि - सरकार के सभी विभाग/ सभी विभागाध्यक्ष/ सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/ सभी जिला
 मजिस्ट्रेट/ सभी भूमि सुधार के प्रभारी उप रामाहर्ता/ सभी अनुमंडल मजिस्ट्रेट/ निदेशक, जन
 सम्पर्क विभाग, बिहार को सूचनार्थ अग्रसारित ।

हो/-
 (वरदा कान्त घोषपाल)
 सरकार के अवर सचिव ।

ज्ञाप सं0- 13/बी०एल०-3024/86-श्र०नि०-102, पटना, दिनांक 27.02.87
 प्रतिलिपि - सभी प्रशाखा पदाधिकारी/ सम्पादक 'श्रमिक' श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग को
 सूचनार्थ अग्रसारित ।

हो/-
 (वरदा कान्त घोषपाल)
 सरकार के अवर सचिव ।

बिहार सरकार
श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग

अधिसूचना

पटना, दिनांक
एस0ओ0 बंधक मजदूरी प्रथा (उन्मूलन) अधिनियम, 1976 अधिनियम (19/1976) की घारा-
21 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल उक्त अधिनियम के
अन्तर्गत मामलों के निपटारा के लिए इस राज्य के सभी भूमि सुधार के प्रभारी उप-समाहर्ताओं को
प्रथम श्रेणी के न्यायिक दंडाधिकारी की शक्तियों प्रदान करते हैं जो उक्त अधिनियम के अन्तर्गत
अपने क्षेत्रों के मामलों की सुनवाई करेंगे :-

संख्या -13/बी0एल0-3024/86-श0नि0-101
बिहार राज्यपाल के आदेश से
ह0/-
(वरदा कान्त घोषपाल)
सरकार के अवर सचिव ।

अधिसूचना :

पटना, दिनांक
एस0ओ0 दिनांक
अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता
है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड(3) के अधीन (अंग्रेजी) भाषा में उसका
प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा ।

संख्या -13/बी0एल0-3024/86-श0नि0-101
बिहार राज्यपाल के आदेश से
ह0/-
(वरदा कान्त घोषपाल)
सरकार के अवर सचिव ।

Source:

Received under Right to Information, Govt. of Bihar